फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

हेतु कलम प्रमाण

संख्या : 229/13 उ.का.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7/4/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प. उप.। उभयपक्ष अधिवक्तागण से बहस करे। पत्रावली दिनांक 15/4/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
15/4/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प. उप.। उभयपक्ष अ.ता. पेशी पर बहस करे। पत्रावली दिनांक 16/4/2025 को पेश हो।	
16/4/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प. उप.। वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली शेष बहस प्रतिवादी हेतु दिनांक 21/4/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
21/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०प० उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 12/5/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
12/5/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०प० उपस्थित। वाद और व प्रतिवादी 9,10,11 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। [illegible] पृथक से लिखवाया गया। [illegible] फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 229/2013
बउनवानी – देबू बनाम प्रभात वगै0
निर्णय दिनांक – 12.05.2025

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 229/2013 वाद प्रस्तुति दिनांक – 11.02.1992

1. देबू पुत्र श्री सुण्डा जाति जाट निवासी जैरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर (मृतक दौराने वाद)
   1/1 रामेश्वर पुत्र स्व. देबू, जाति जाट
   1/1/1 जडाव देवी पत्नी स्व. रामेश्वर
   1/1/2 सुशीला देवी पुत्री स्व. रामेश्वर
   1/1/3 नन्दी देवी पुत्री स्व. रामेश्वर
   1/1/4 बबली पुत्री स्व. श्री रामेश्वर
   1/1/5 आची पुत्री स्व. श्री रामेश्वर
   1/1/6 राजेश पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
   1/1/7 सुरेश पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
   नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती जडाव देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर, जाति जाट निवासी जैरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
   1/1/8 लाली पुत्री स्व. श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी हाल गांव अनोपपुरा तहसील आमेर जयपुर
   1/2 श्रीमती पतासी देवी पत्नी स्व. देबू जाति जाट
   1/3 श्रीमती तीजा पुत्री स्व. देबू एवं पत्नी गोमा जातियान जाट हाल निवासीयान चिथवाडी तहसील चौमू जिला जयपुर

बनाम

1. प्रभात (मृतक दौराने वाद)
   1/1 केसरी देवी पत्नी स्व. प्रभात
   1/2 कल्याण सहाय पुत्र स्व. प्रभात
   1/3 राजू पुत्र स्व. श्री प्रभात
   1/4 मोहन उर्फ मुन्ना पुत्र स्व. प्रभात
   1/5 मुकेश पुत्र मुन्ना पुत्र स्व. प्रभात
   जातियान जाट निवासगण गदलायां की ढाणी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जयपुर
   1/6 सोनी देवी पत्नी श्री बृजमोहन, पुत्री स्व. प्रभात, जाति जाट निवासी ग्राम सरणा चौड, तहसील जयपुर
   1/7 मीना देवी पत्नी श्री कैलाश, पुत्री स्व. प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम सरणा डूंगर, तहसील व जिला जयपुर
2. अर्जुन
3. गुलाब (मृतक दौराने वाद)
   पुत्रान स्व. मंगला जातियान जाट निवासीयान जैरामपुरा तहसील आमेर जयपुर
   3/1 श्रीमती घीसी देवी पत्नी स्व. श्री गुलाब
   3/2 रामकुमार पुत्र स्व. श्री गुलाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

3/3 राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री गुलाब
3/4 सजना पुत्री स्व. श्री गुलाब
जातियान जाट निवासीयान ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू जयपुर
3/5 कोयली पत्नी श्री सांवरमल पुत्री स्व. श्री गुलाब
3/6 नन्छी पत्नी श्री कैलाश पुत्री स्व. श्री गुलाब
3/7 श्रवणी पत्नी श्री मदनलाल पुत्री स्व. श्री गुलाब
जातियान जाट निवासी ग्राम निन्दौला, पोस्ट खेजराजी चौमू जयपुर

4. मुरली पुत्र स्व. श्री मंगल जाति जाट निवासीगयान जैरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
5. काना पुत्र स्व. श्री मंगला जाति जाट निवासीयान जैरामपुरा तहसील आमेर

5/1 मोहरी पत्नी स्व. काना
5/2 हरि पुत्र स्व. काना
5/3 गोरधन पुत्र स्व. काना
5/4 लालचंद पुत्र स्व. काना
5/5 अमरचन्द पुत्र स्व. काना
निवासीयान ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू जयपुर
5/6 मनभर देवी पत्नी गोपाल पुत्री स्व. काना
5/7 बिरदी देवी पत्नी सीताराम पुत्री स्व. काना
5/8 तीजा देवी पत्नी नेमीचन्द पुत्री स्व. काना
5/9 गड्डी देवी पत्नी रामचन्द्र पुत्री स्व. काना निवासी ग्राम मुंडिया पोस्ट कालाडेरा तहसील चौमू जिला जयपुर

6. तहसीलदार आमेर जयपुर
7. नन्छू पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी राधास्वामी बाग, चौमू जयपुर
8. महेन्द्र सिंह पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी कचोलिया चौमू जिला जयपुर
9. मोहन लाल पुत्र ग्यारसी लाल जाति जाट
10. मालीराम पुत्र ग्यारसी लाल जाति जाट
11. छीतरमल पुत्र ग्यारसी लाल जाति जाट ि
निवासीयान ग्राम बाई का बास, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा हक तकासमा, स्थायी निषेधाज्ञा मय दुरूस्ती रिकॉर्ड अन्तर्गत धारा – 88, 89, 188, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955</u>

उपस्थिति :–

(1) श्री अजय सैनी – अधिवक्ता वादी।

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 16:14:30 IST
Reason: SelfAttested

दिनाँकः– 12.05.2025

सहायक कलक्टर
आमेर मुख्यालय जयपुर

निर्णय

हस्तगत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के स्वर्गीय पिता मंगला पुत्र नोला एवं प्रतिवादी नम्बर 5 काना ने ग्राम

जयरामपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित कुछ कृषि भूमियां आपसी सहयोग से मिलकर सन् 1965 के आस पास से शामलाती रूप से काश्त करना शुरू किया था। वादी ने एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के स्व० पिता मंगला एवं प्रतिवादी नम्बर 5 काना पुत्र सड़ू ने जो जमीनें काश्त करना शुरू किया, उनकी कृषि भूमि नम्बर इस प्रकार है, जो नम्बर गत सैटलमेन्ट के अनुसार हैं, खसरा नम्बर 251/1 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 251/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 271/2 रकबा 22 बीघा 7 बिस्वा एवं खतरा नम्बर 271/3, रकबा 13 विधा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 271/4 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा तथा खतरा नम्बर 253/3 रकबा 7 बीघा आदि भूमियों की बुवाई व काश्त चालू की थी। इनका कुल रकबा करीब 57 बीघा 16 बिस्वा है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी गण नम्बर 1 ला 4 के स्वर्गीय पिता मंगला एवं प्रतिवादी नम्बर 5 का कब्जा काश्त व हिस्सा 1/3 के रूप में बराबर बराबर मौके पर बोते व बुवाई करते चले आये हैं। उपरोक्त भूमियां दिनांक 28–5–1972 के पूर्व सिवाय चक भूमि के रूप में थी और सिवाय चक भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के स्वर्गीय पिता मंगला एवं प्रतिवादी नम्बर 5 का काफी पुराना कब्जा काश्त चला आते रहने के कारण एवं राजस्व अदा करते चले आने के कारण समयानुसार प्रचलित राजस्व सरकूलर व नियमों के तहत उक्त भूमियों का नियमन करा कर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न हो चुका था। तदनुसार वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 के कब्जे काश्त व अधिकार की उक्त भूमियों का मामला राजस्व अभियान व अलॉटमेन्ट व नियमन सलाहकारी कमेटी द्वारा दिनांक 28–5–72 को ग्राम जयरामपुरा डाबडी में उक्त कमेटी की मिटिंग हुई एवं नियमानुसार कोरम पूरा होने पर अध्यक्ष कमेटी तत्तकालीन एस०डी०ओ० श्री नरेश चन्द जैन आमेर एस0डी0ओ0 ने विभिन्न गांवों के आवंटन व नियमन पत्रावलियों का निस्तारण किया, जिसमें दिनांक 28–5–72 की उक्त मिटिंग में ग्राम पंचायत जैरामपुरा के नियमन पत्रावली पर कमेटी ने विचार करके खसरा नम्बर 251/1 रकबा 6 बीघा 11 बिल्वा, 252/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 271/2 रकबा 22 बीघा 7 बिस्वा, 271/3 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा व 271/4 दो बीघा नामान्तरकरण उपरोक्त 15 बिस्वा, कुल 37 बीघा 4 बिस्वा का नियमन बहक [illegible] त मंगला पुत्र नौला व दैन पुत्र झण्डा जाटान जयरामपुरा [illegible] अधिकार दिये तदनुसार उक्त नियमन आदेश 28–5–72 के [illegible] 257 दिनांक 28–2–73 भरा गया, जिसके अनुसार उक्त नियमन आदेश के [illegible]सार खारा नम्बर 271/3 में से 1 बीघा रकबा एवं 271/4 में से 1 बीघा 15 बिस्वा रकबा जोड़ते हुए 37 बीघा 4 बिस्वा रकबा का नामान्तरकरण व काना पुत्र तेडू, मंगला पुत्र नोला व देबू पुत्र सूडा जाट जयरामपुरा के नाम भरा जाकर 28–2–73 की तस्दीक किया गया। जबकि मुताबिक आदेश नियमन खसरा नम्बर 271/3 सात बीघा 13 बिल्वा का एवं खसरा

सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 18:14:30 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 271/4 का 2 बीघा 15 बिस्वा के रकबे काश्तीनों के नाम भरा व तस्दीक किया जाना चाहिए था । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता मंगला ने राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ करते हुये वादी को मुगालते में रखकर खसरा नम्बर 271/3 रकबा 6 बीघा एवं 271/4 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 7 बीघा का मिलीभगत कर अपने नाम जुदा गाना नामान्तरकरण संख्या 206 दिनांक 28–2–73 के द्वारा 7 बीघा भूमि नियमन कराकर गैर– खातेदारी में दर्ज करवा ली, जबकि अकेले मंगला को इस प्रकार नामान्तरकरण भराकर अलग से उपरोक्त रकबे की गैर खातेदारी लेने का कोई अधिकार नहीं था और इस प्रकार मौके पर स्वर्गीय मंगला पुत्र नोला का कब्जा काश्त भी नहीं रहा । किन्तु स्वर्गीय मंगला ने राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ करके खसरा नम्बर 271/3 का रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा का नामान्तरण नियमन 19–7–72 आदेश के अन्तर्गत उसके अकेले के नाम नामान्तरकरण संख्या 262/2 के द्वारा भरवा लिया एवं तत्कालीन पंचायत व पटवारी हलका से साजिश व मिली भगत कर बालाबाला अपने अकेले के नाम भरवा लिया और इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 ला 4 के स्वर्गीय पिता ने खसरा नम्बर 271/3 में से 6 बीघा रकबा नामान्तरकरण संख्या 206 के द्वारा एवं नामान्तरकरण संख्या 88 262/2 दिनांक 15–9–73 के द्वारा रकबा 6 बीघा 13 बिल्वा, इस प्रकार कुल 12 बीघा 13 वित्वा भूमि का अपने के नाम पूर्व नियोजित षड्यन्त्र ते नामान्तरकरण में अंकन करा लेने की हरकत करके गैर बातेदारी में अकेले मंगला ने अपने नाम गलत व टिपूर्ण इन्द्राज करवा लिया, जबकि वास्तविकता यह है कि खतरा नम्बर 271/3 रकबा कुल 13 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 271/4 रकबा कुल 2 बीघा 15 बिस्वा कुल दोनों का रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा रकबा वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के पिता मंगला एवं प्रतिवादी नम्बर 5 काना के बहिस्सा 1/3 बराबर कब्जे करत में चली आई है, और समान रूप राजस्व देते हैं और इसी अनुसार रिकॉर्ड व नियमन आदि की कार्यवाहियों में प्रविष्टि की जानी चाहिए थी यानेकि वादी उक्त आराजीयात के रकबे की भूमि में 1/3 हक हिस्से की वृद्धि भूमि पर कब्जा व अधिकार रखने ते उत्ती हक हिस्से के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रेविष्टि की जानी चाहिये थी । उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज व अकेले प्रतिवादी मंगला के राजस्व अधिकारियों की साजिश ते बालाबाला इन्द्राजात व नामान्तरकरण में प्रविष्टियां करवाई जिसके फलस्वरूप वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ला 4 के पिता मंगला व प्रतिवादी नम्बर 5 काना के शामलाती गैर खातेदारी नियमन प्रविष्टि में खसरा नम्बर 271/3 में केवल 1 बीघा एवं खसरा नम्बर 271/4 मे से केवल 1 बीघा 15 बिस्वा शामलाती रूप में बहिस्सा 1/3 नामान्तरकरण नम्बर 207 के अनुसार प्रविष्टि व इन्द्राज हो सका और फलस्वरूप इन दोनों खसरा नम्बरों में से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 के स्व० पिता मंगला व मौजूदा में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 ने क्रमशः नामान्तरकरण संख्या 262/2 के द्वारा खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

271/3 में से 6 बीघा 13 बिस्वा एवं इसी नम्बर में से नामान्तरकरण संख्या 206 के द्वारा 6 बीघा रकबा एवं खसरा नम्बर 271/4 नामान्तरण संख्या 206 के द्वारा 1 बीघा रकबा कुल 13 बीघा 13 बिस्वा रकबा गलत व अवैधानिक तरीके से राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर के वास्तविकता व यथार्थता के विपरीत मिथ्या व गलत इन्द्राजात अकेले अपने नाम करा लिया और वादी व प्रतिवादी नम्बर 5 को हक हिस्से से वंचित करने का नियोजित षड्यन्त्र से यह कार्य किया, जबकि वास्तविकता यह है कि वादी इन तमाम उपरोक्त दोनों नम्बरों की भूमि पर 1/3 एक हिस्से पर काबिज काश्त है एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 भी 1/3 हिस्से पर काश्त करते हैं एवं इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 5 भी 1/3 हिस्से पर काश्त करते हैं और तीनों का उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों में मौके पर समान हक हिस्सा व कब्जा काइत चला आया है। किन्तु प्रतिवादी नम्बर । ला 4 के पिता स्वर्गीय मंगला बड़े व मुखिया होने के कारण अधिकारियों ने मिलकर अपने अकेले के नाम का अंकन उक्त प्रकार वादी को धोखे व अन्धेरे में रखकर करा लिया, जो वास्तविकता के प्रतिकूल व गलत इन्द्राज है, जो काबिले दुरूस्ती है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 253/3 रकबा 7 बीघा, जिस पर भी वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ला 4 के स्व० पिता मंगला एवं प्रतिवादी नम्बर 5 काना पुत्र सेडू का कब्जा काश्त व हक अधिकार बहित्ता बराबर चला आया है और मौके पर इसी रूप में वर्षों से का बिज चले आये हैं, किन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 ने साजिश व मशविरा करके उक्त भूमिको अकेल हइपनेकी गरज से तत्कालीन राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर भू–आवंटन सलाहकार कमेटी के राजस्व अभियान कैम्प दिनांक 16–7–81 ग्राम जयरामपुरा के द्वारा उक्त कृषिभूमि खतरा नम्बर 253/3 का अलॉटमेन्ट प्रतिवादी नम्बर–1 प्रभात व क्रम 2 अर्जुन पुत्रान मंगला के नाम करा लिया, जो अलॉटमेन्ट भी भू– आवंटन नियम कृषि प्रयोजनार्थ सन् 1971 व समय समय पर प्रचलित राजस्व सरकूलरों व नियमों की अवहेलना करके करा लिया, क्योंकि उक्त भूमि पर कब काश्त वादी व प्रतिवादी नम्बर 5 का भी संयुक्त रूप में प्रतिवादीगण नम्बर ला 4 के साथ था एवं भूमि आँको पाइड थी, ऐसी सूरत में आवंटन नियम विर था, जिसके बाबत भी प्रतिवादी नम्बर 1 ला 4 की चालाकी की जानकारी होने पर वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 5 काना ने एक जुदा मामला जेर धारा अधीन धारा 14148 राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत निगरानी देते हुये न्यायालय अतिरिक्त जिलाधिश जयपुर के यहां पेश कर रखा है जो चल रही है। खतरा नम्बर 253/3 रकबा 7 बीघा का भू–आवंटन अथवा द्य नियमन वादी 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर ला 4 हिस्सा 1/3 एवं जिस रूप में रूस का बिज काश्त हैं, उती प्रतिवादी नम्बर 5 हिस्सा 1/3, रूप मैं नियमन प्रविष्टि व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना चाहिए था. किन्तु प्रतिवादी नम्बर ला 4 ने वादी के भोलापन एवं ना समझी का वैजा फायदा उठाकर उक्त शामलाती व संयुक्त बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त की उक्त भूमिमैं उनके

सहायक कलक्टर आमेर जि. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunlan Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: Self Attested

अकेले के नाम प्रतिवादी नम्बर 1 ला 2 ने वास्तविकता के विपरीत त्रुटिपूर्ण व गलत इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम करा लिया जबकिउक्त कृषि भूमि में वादी का शुरू से 1/3 कब्जा काश्त व अधिकार है और इसी अनुरूप हकूक खातेदारी व नियमन गैर–खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। खसरा नम्बर 271/3 रकबा 13 की घा 3 बिस्वा में, जो वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ला 4 व 5 के संयुक्त कब्जे व अधिकार है. उसमें पुराने समय से गैर मुमकिन चाह पुख्ता खुदी हुई है, जिसका नवीन बंदोबस से में तरमीम शुदा हाल खसरा नम्बर 459 है और इस कुए से वादी, प्रतिवादी ग नम्बर 1 ला 4 एवं प्रतिवादी नम्बर 5 को बहिस्सा 1/3 बराबर बराबर अपनी कृषि भूमियों को सिंचाई, पिलाई कराने का हक अधिकार है और तीनो का यह शामलाती कुआ चला आ रहा हैं। खसरा नम्बर 271/3 में, जिस भाग में का यह शामलाती कुआ चला आया है । वादी 1/3 हिस्से में कब्जे काश्त व अधिकार में है, पुराना स्थित कुआ में 1/5 हक हिस्सा की पिलाई सुविधा का अधिकार होते हुए भी, वादी ने अपने हक हिस्से में अपनी सुविधा से व भूमि को अधिक उन्नत व उपजाऊ बनाने की दृष्टि ते एक नवीन चाह कुआ खसरा नम्बर 271/3 में करीब पचास हजार रूपया लगाकर तकरीबन आठ वर्ष पहले खुदवाकर बनवाया और इस कुए में अपने अकेले खर्चे से वादी देबू ने अलहदा पानी की सुविधा कायम की, जिस पर वादी मोटर इंजन से पानी निकालकर अपने खेतों की पिलाई करता रहा है वादी देबू ने इस नये कुए पर अपने नाम से अपने खर्चे कनेक्शन भी ले रखा है, जिससे कि बिजली के इंजन ते कुए से पानी निकालकर अपनै हक हिस्से की कृषि भूमियों की पिलाई करता चला आया है। बनाये व खुदवाये हुए कुए। प्रतिवादी नम्बर 1 ला 5 का कोई वास्ता या सरोकार किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि वादी ने अपने निजी सरफे खुदवाया व बनवाया है व अपने नाम अलग तन्हा उपयोग के लिए यह कुआ विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है। पुराने कु ते बहिस्सा 1₹3 हक इस प्रकार वादी को अपने पूर्व निर्मित शामलाती हिस्सा व पानी लेन का अधिकार है एवं नये स्वयं द्वारा बनाये हुए कुए से स्वतन्त्र तन्हा पूर्ण रूप से उपयोग लेने का हक व अधिकार है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण द्वारा शुरू में कृषि भूमि की जोत प्रारम्भ की, उसके अनुसार व यथार्थ कब्जे कापत के अनुसार 1/3 हिस्से की भूमि व उत्ती अनुसार खातेदारी [illegible] व तकासमा प्राप्त करने का अधिकारी है और इन कृषि भूमियों [illegible] नामान्तरकरण संख्या 207, दि० 28–2–73 रकबा 37 बीघा [illegible] किया गया और इसके अनुसार वादी को 1/3 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ला 4 व [illegible] वि० पिता मंगला पुत्र नौला के 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 5 काना के 1/3 हिस्से का इन्द्राज नामान्तरकरण व राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा के बाबत हुआ, वह इस सीमा तक विवादित नहीं है कि यह जमीनें वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 4 व 5 के मध्य बहिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड किया गया तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के स्वर्गीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

पिता मंगला एवं मौजूदा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 ने जरिये नामान्तरण नम्बर 206 खसरा नम्बर 271/3 में से 6 बीघा एवं खतरा नम्बर 271/4 में से 1 बीघा एवं नामान्तरण नम्बर 262/2 के द्वारा खसरा नम्बर 271/3 मिन रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा एवं ' नामान्तरकरण संख्या 109 के द्वारा खतरा नम्बर 253/3 रकबा 7 बीघा, इस प्रकार कुल रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा का इन्द्राजात नामान्तरकरण व राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियां राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ करके मिलीभगत कर वादी के अनपढ़ व भौतपन की प्रकृति का वैजा फायदा उठाकर प्रतिवादी ला 4 व उनके स्वर्गीय पिता मंगला ने नियोजित षड्यन्त्र से चालाकी व बेईमानी करके उपरोक्त वर्णित भूमियों के रकबे 20 बीघा 13 वित्या का गलत व वास्तविक व यथार्थता के विपरीत अंकन करा लिया, जबकि इस उक्त पति भूमियों के 20 बीघा 13 विस्वा रकबे में वादी का 1/3 हिल्सा एवं प्रतिवादी गण ला 4 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 5 का बहिस्सा 1ध्3, बराबर बराबर है और इसी रूप ते वादी अपनी बातेदारी व गैर–खातेदारी हक हकूकों की घोषणा कराने का अधिकारी है और इसी अनुरूप उक्त भूमियों का बाकायदा तकासमा जरिये मी दत्त व बॉउण्इस कराने का एवं उक्त गलत प्रविष्टि व इन्द्रा जात राजस्व अभिलेख को दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकारी है, क्योंकि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 शामलाती रूप ते उक्त वर्णित हिस्सों के अनुसार करीब विगत पच्चीस वर्षों से काबिज काश्त चला आ रहा है और तदनुसार उक्त आराजी में अपना हक हित्मा व खातेदारी व तका समा चाहने का मुश्तडक है। ग्राम जय रामपुरा तहसील आमेर का अभी हाल का सैटलमेन्ट ऑपरेशन प्रारम्भ होने पर भूमियों की नवीन सिरे ते एकीकरण व नाप चौप का कार्य शुरू हुआ, तो सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने वादी व प्रतिवादीगण नम्बर–1 ला 5 के कब्जे का पूत की यथार्थ स्थिति की नाप व पड़ताल की और तदनुता र उन्होंने करीब जिस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण काबिज है, उसके अनुसार उत्त रकबा जो वादी नै उल्लेख किया है, उसके अनुसार पर्चा चकबन्दी तैयार किया व जारी किया, किन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 1 ला 4 ने सेटलमेन्ट के अधिकारियों से मिलकर बिना वादी को सूचना व नोटिस दिये बालाबाला इन्द्राजों में दुरूस्ती करा ली और कुछ खसरा नम्बरों में रकबे की कटौती करते हुए व तरमीम करते हुए यथार्थता के विपरीत पर्चे बन[illegible] द्य ला 4 नै वादी व प्रतिवादी नम्बर 5 को उसके जायज हक हिस्से [illegible] वंचि[illegible] करने की गरज सेटलमेन्ट के अधिकारियों से मिलकर एकपक्षी[illegible] प्राप्त कि[illegible] वादी के 1/3 हक हिस्स व अधिकारों के प्रति गलत इन्द्र[illegible] का वादी प्रारम्भ के अनुसार इन्द्राजात कानूनन बात्तिल, बेअसर व अवैधानिक है। उपरोक्त वर्णित वर्णन के अनुसार उक्त शामलाती कृषि भूमियों के 1/3 हक हिस्ते का वाकई तकासमा व होल्डिंग का विभाजन कराने का अधिकारी है, क्यों कि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ला 4 के स्व० पिता मंगला एवं वर्तमान में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 एवं प्रतिवादी नम्बर 5 काना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

कॉ–टेनेन्ट व सब–टैनेन्ट के रूप में सह कृषक व सह हिस्सेदार के रूप में का बिज काश्त चल आये हैं और तदनुसार ही कब्जा काश्त व उपयोग आराजी पर चला आया है। और इस प्रकार वादी उक्त खसरा नम्बर 271/5, 271/4 एवं 253/3 के कुल रकबे में समान हक हिस्से की खातेदारी की घोषणा व तकासमा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर । ला 4 के स्वर्गीय पिता मंगला का इरादा भी पूर्व नियोजित बेईमानी का रहा था एवं उसके स्वर्गवास के बाद मौजूदा प्रतिवादी नम्बर । ला 4 का इरादा भी बेईमानी पूर्वक व धोखपूर्ण है और वे अपने उपरोक्त वर्णित भूमि के गलत मनमाने तरीके से बालाबाला कराये गये राजस्व अभिलेख व प्रविष्टियों के आधार पर भूमि को अकेले खुर्द बुर्द व अन्तरण करने पर उतारू हैं और बालाबाला फरोख्त कर अकेले लाभ अर्जित करने व विक्रय राशी प्राप्त करने की फिराक में हैं। जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ला 4 एवं प्रतिवादी नम्बर 5 बराबर 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण । ला 4 अथवा 5 को उक्त बैजा हरकत एवं बदनियतीपूर्ण कृत्य से नहीं रोका गया तो वे उक्त संयुक्त शामलाती अविभाजित भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगे एवं जिससे वादी को अपने हक हिस्से की भूमि व उससे पैदावार व लाभ ते वंचित होना पड़ेगा, वादी के कानूनी अधिकार गम्भीर रूप से दुष्प्रभावित होगे एवं वादी को अकथनीय व अपूर्णीय अधिकारों की क्षति व हानि होने की पूरी पूरी सम्भावना है। अभी हाल सेटलमेन्ट के समय प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 ने बदनियती रखते हुए असली तथ्यों को छुपाकर मुगालत देकर एक झंठा परिवाद फोजदारी का पेश किया व आमेर थाने में प्रथम सूचना दर्ज कराई, जो महज प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 ने वादी व दीगर हिस्सेदार हो एक पंच करने की गरज से एवं स्वयं को बेजा लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से तोड़ मोड़ कर गलत तथ्य बनाकर इंठा परिवाद किया है और इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 ऐनकेन प्रकारेण उक्त वर्णित कृषि भूमि को अकेल हड़पने की फिराक में हैं, जबकि वादी इन उक्त वर्णित भूमियों में पुराने समय से चले आ रहे कब्जे के अनुसार व तह– कृषक के अनुसार हक हिस्सैकी अभि 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है व इसी रूप से काबिज है। अभी विगत पन्द्रह दिनों से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 को वादी ने उक्त खतरा नम्बर 271/3 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा एवं 271/4 रकबा [illegible] बिस्वा एवं खसरा नम्बर 253/3 रकबा 7 बीघा के रकबे में से 1/3 हक हिस्से की खातेदारी वादी के नाम इन्द्राज कराने एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ला 4 के उक्त अनुसार इन्द्राज दुरूस्त कराने को वाढी नै कहा, किन्तु प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने वादी की मांग के बावजूद वादी को अपने हक हिस्से की भूमि का तकासमा कराने एवं इन्द्राज दुरूस्त कराते प्रतिवादी गण नम्बर 1 ता 5 ने इनकार कर दिया और वादी के इसलिए प्रतिवादी गण कब्जे काश्त में बेजा मजा हमत करने की धमकी दी। प्रतिवादी 1 ता 4 द्वारा दिनांक 18–1–1992 को वादीके कब्जे व हक हित्ते में उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में उसे उपयोग करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मदाखलत करने की धमकी देते विवाद मूल उत्पन्न होकर दावा हाजा करना आवश्यक हुआ।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब दावा पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पिता स्वर्गीय मंगला व प्रतिवादी सं0 5 ने मिलकर सन् 1965 से शामलाती रूप से काश्त करना प्रारम्भ नहीं की थी। सन् 1968 में अप्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता व अप्रार्थी 5 की शामलाती काश्त की भूमि जिनके शामलाती भूमि नम्बर इस प्रकार थे :– खसरा नम्बर 251/1 रकबा " बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 251/2 रकबा 5 बीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 271/2 रकबा 22 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 271/3 रकबा 1 बीघा तथा खसरा नम्बर 271/4 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि काश्त के लिये थी, इनका कुल रकबा करीब 37 बीघा 4 बिस्वा था, जिसकें दोनो 1/2, 1/2 समान हिस्सेदार थे। इस शामलाती काश्त भूमि 37/4 का में ही अप्रार्थीगण 1 ता 4 के पिता एवं अप्रार्थी सं0 5 ने समझौते एवं सहमति के अनुसार काना के रिश्तेदार देबू को 1/3 हिस्सा विक्रय कर दिया था, इस प्रकार प्रार्थी देबू भी उक्त भूमि के 1/3, 1/3 हिस्से का अधिकार व काबिज हो गये थे। जबकि वादी ग्रांम मांजीपुरा तहसील शाहपुरा जिव जयपुर का रहने वाला था। वादी के साथ शामलाती रूप से प्रतिवादीगण के पिता ने काश्त प्रारम्भ नहीं की थी। प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पिता व प्रतिवादी काना ने बावड़ी पुरोहितान से कुल कृषि भूमि क्रय की थी और आपसी सहमति और समझौते के अनुसार वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता मंगला एवं प्रतिवादी काना ने उपरोक्त वर्णित आराजीयात के अपने आधे–आधे के हिस्से में 1/3 का हिस्सेदार बना दिया था। इसी वजह से दिनांक 28–05–72 की मीटिंग में ग्राम पंचायत जयरामपुरा द्वारा उपरोक्त आराजीयात खसरा नंबर 251/1, 251/2, 271/2, 271/3, 271/4 की कुल रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा का नियमन बहक वादी प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पिता मंगला एवं प्रतिवादी सं0 5 काना को करके खातेदारी अधिकार दिये थे। प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पिता ने अपने हक व अधिकार की काश्त भूमि खसरा नंबर 271/3 रकबा 12 बीघा 13 विस्वा 271/4 रकबा 1 बीघा का नियमानुसार नामान्तकरण अपने नाम करवा लिया था वादी व प्रतिवादी नं0 5 का इन कृषि भूमियों से कभी कोई संबंध नहीं रहा। वादी व प्रतिवादी सं0 5 का प्रतिवादीगण 1 ता 4 के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 271/3 व 271/4 की कृषि भूमि पर कोई कब्जा व काश्त नहीं है नाहीं कोई हक व अधिकार है। आराजी खसरा नंबर 253/3 रकबा 7 बीघा पर कभी भी वादी व प्रतिवादी सं0 5 का कब्जा काश्त नहीं रहा। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को उनके पुराने चले आ रहे कब्जे के आधार पर ही राजस्व अभियान

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

कैम्प दिनांक 16–10–81 ग्राम जयरामपुरा के ... कृषि भूमि का अलॉटमेन्ट किया गया था। खसरा नं0 253/3 का विवाद मान्य न्यायालय से उच्चाधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने के कारण श्रीमान् को विवादित खसरा नंबर 253/3 का विचार करने का कोई अधिकार नहीं है नाहीं विवाद दो न्यायालयों में लंबित व विचाराधीन हो सकता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 का आराजी खसरा नंबर 253/3 पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, मिन प्रतिवादीगण 1 व 2 ही उक्त खसरा नंबर 253/3 पर अकेले ही काबिज रहे है। वादी व प्रतिवादी सं0 5 को खसरे नं0 253/3 में 1/3 अधिकार नहीं है नाहीं खातेदारी अधि कार प्राप्त करने का अधिकार है। वादी व प्रतिवादी सं0 5 द्वारा कोई कुंए का निर्माण नहीं किया गया है। खसरा नंबर 459 (नवीन बन्दोबस्त के अनुसार) में बने चाह के एकमात्र मालिक व अधिकारी मिन प्रतिवादीगण 1 ता 4 है अन्य किसी को इस चाह से सिंचाई करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 271/3 में 1968 में एक कुंआ और 1975 में दूसरा कुंआ बनवाया तथा सन् 1982 में 72 का विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था। इन कुंओं पर वादी व प्रतिवादी सं0 5 का कोई संबंध अथवा हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता मंगला व प्रतिवादी संख्या 5 का शामलाती रूप से 37 बीघा 4 बिस्वा काश्त जमीन पर 1/2–1/2 के अनुसार कब्जा काश्त रही थी, वादी का कभी भी किसी भी कृषि भूमि पर कब्जा नहीं रहा। मान्य न्यायालय को उलझा कर गुमराह कर वादी प्रतिवादी सं0 5 से सांठ गांठ कर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के कब्जे व अधिकार की काश्त भूमि पर कब्जा जमाने की फिराक में है, जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी व प्रतिवादी सं0 5 का प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 271/3 खसरा नंबर 271/4 व 253/3 पर कोई कब्जा काश्त नहीं है नाहीं कोई हिस्सा करवाने का अधिकार है। खसरा नंबर 271/3 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा 271/4 रकबा 1 बीघा व खसरा नंबर 253/3 रकबा 7 बीघा पर मिन प्रतिवादीगण 1 ता 4 ही काबिज काश्त है व लगान जमा करवा रहे है। वर्तमान बन्दोबस्त के दौरान वादी व प्रतिवादी सं0 5 व छीतरमल, मालीराम, मोहन पुत्रान ग्यारसा, नन्छु व कालूराम उर्फ महेन्द्रसिंह ने बन्दोबस्त ... फर्जी व अवैधानिक तरीके से साजिशी कार्यवाही कर उक्त आराजी के ... में हेर–फेर करवा ली थी, जिसको मिन प्रतिवादीगण द्वारा निरस्त करवा दिया ... व वादी व प्रतिवादी संख्या 5 व कालूराम, नन्छुराम, छीतरमल, मालीराम, मोहन ... अन्य के विरूद्ध मुन्सिफ एवं न्यायिक मजि० की अदालत में इस्तगासा पेश कर थाना आमेर द्वारा तफतीश की जाकर उक्त मुलजिमान व सेटलमेन्ट कर्मचारी के विरूद्ध संबंधित कोर्ट में चालान पेश किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 5 का विवादित कृषि भूमियों से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है व उक्त आराजी के 1, बाबत किसी भी प्रकार की कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

दादरसी वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। जब किसी प्रकार की घोषणा ही वादी के पक्ष में कानूनन नहीं की जा सकती है तो नहीं है ऐसी परिस्थिति में तकासमें करवाने वाली बात काल्पनिक है। वादी किसी भी प्रकार का कोई टिनेन्ट या सब–टिनेन्ट नहीं है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 शान्तिप्रिय व कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति है व मिन प्रतिवादीगण का स्वर्गीय पिता मंगला भी शान्तिपूर्वक व ईमानदार व्यक्ति था। मिन प्रतिवादीगण व उनके स्वर्गीय पिता द्वारा कोई गलत प्रविष्ट्रियाँ राजस्व रिकॉर्ड में नहीं करवाई गई। मिन प्रतिवादीगण 1 ता 4 व उनके स्वर्गीय पिता मंगलाराम द्वारा काफी पैसा व श्रम व्यय कर उक्त आराजी को समतल व काबिले काश्त व चाही बनाया गया है व खसरा नंबर 271/3 में दो चाह बनाकर उसमें विद्युत सम्बन्ध लिया गया है, जिसका खाता संख्या 64–1–93 है जो कि 7.5 हार्सपावर का है। मिन प्रतिवादीगण को अपनी आराजी को हर प्रकार से हस्तांतरण करने के हक मालिकाना प्राप्त है। मिन प्रतिवादीगण 1 ता 4 को अपने कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि को हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी व प्रतिवादी सं0 5 का कोई कब्जा विवादित भूमि पर नहीं है। विवादित भूमि पर वर्तमान में मिन प्रतिवादीगण की बोई हुई फसल खड़ी है। वादी को किसी भी प्रकार की कोई क्षति होने की सम्भावना नहीं है बल्कि मिन प्रतिवादीगण 1 ता 4 को पाबन्द कर दिया गया तो मिन प्रतिवादीगण को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 में किसी भी प्रकार की कोई बदनीयती नहीं है, बल्कि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 की नीयत में बदनीयती है, इसी कारण उन्होने माफिया गिरोह जो जमीनों की खरीद फरोख्त का धन्धा करते है की सांठ–गांठ से सेटलमेन्ट कर्मचारियों से साजिश करें गलत रूप से मिन प्रतिवादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात पहुँचाने की गरज से उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में फर्जी इन्द्राजात करवा दिये जिस पर वादी व प्रतिवादी सं0 5 व कालूराम उर्फ महेन्द्रसिंह व अन्य का 420, 467, 468, 120 (बी) व अन्य भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं में सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया। वादी का विवादित भूमि में कोई 1/3 हिस्सा नहीं है और न ही कब्जा है। का रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 253/3 रकबा 7 बीघा कुल 20 बीघा 13 खसर नंबर [illegible] बिस्वा, खसरा नंबर 271/4 मिन भूमि मिन प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त [illegible] की है जिससे वादीका व प्रतिवादी सं0 5 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं [illegible] वादी के द्वारा प्रतिवादीगण 1 ता 4 को इन्द्राज दुरूस्त करवाने [illegible] कही गई और ना ही वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के मध्य कोई वार्तालाप हुई, समस्तं तथ्य मनगढ़न्त व बनावटी है। वादी का कोई कब्जा ही नहीं है, इस कारण दिनांक 18–01–92 को मिन प्रतिवादीगण द्वारा दखल करने वाली बात मनगढ़न्त व काल्पनिक है। वादी को कोई वाद कारण उदित नहीं हुआ है जबकि प्रतिवादी सं0 5 द्वारा खसरा नंबर 253/3 के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अ० जिलाधीश महोदय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत किया जिसमें वादी भी पक्षकार था। विवादित भूमि के वादी व प्रतिवादी सं0 5 सहकाश्तकार नहीं है व नाहीं कोई सम्बन्ध व सरोकार है और उन्हे दावा पेश करने का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जब वादी सहखातेदार काश्तकार ही नहीं है तो सह–कृषक वाली बात काल्पनिक है व प्रतिवादी ने तहसीलदार आमेर को प्रतिवादी गलत बनाय गया है। वादी ग्राम मांजीपुरा तहसील शाहपुरा का रहने वाला था और प्रतिवादी काना का रिश्तेदार था। वादी का ग्राम जयरामपुरा में स्थित किसी कृषि भूमि से कभी संबंध नहीं रहा, प्रतिवादी नं0 5 काना ने रिश्तेदारी के कारण प्रतिवादीसं0 1 ता 4 के स्व० पिता मंगला की सहमति से 37 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा वादी को देना तय किया था। वादीगण वर्तमान में ग्राम अनोपपुरा तहसील आमेर में निवास करते है वादी देवू ने दावा दायरी से पूर्व ही अपने हिस्से की समस्त कृषि भूमि दिनांक 15–06–90 को नन्छ, महेन्द्रसिंह को विक्रय कर कब्जा संभलवा दिया था। विक्रय के पश्चात वादी देवू के कब्जे काश्त में कोई भूमि शेष नहीं रही थी नाहीं वादी को कोई वाद कारण इस कृषि भूमि बाबत शेष रहता है। प्रतिवादी नं0 5 काना ने भी अपने हिस्से की कृषि भूमि मोहनलाल, मालीराम व छीतर को विक्रय कर कब्जा संभलवा दिया था और काना का भी 37 बीघा 4 बिस्वा की कृषि भूमि के अपने 1/3 हिस्सा बेचने पर और किसी हिस्से पर कोई कब्जा व अधिकार नहीं रहा था। प्रतिवादीगण 1 ता 4 व उनके स्व० पिता के नाम खसरा नंबर 271/3 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा खसरा नंबर 271/4 रकबा 1 बीघा व खसरा नंबर 253/3 रकबा 7 बीघा का नियमतिकरण नियमानुसार कर खातेदार घोषित किया गया था और वादी को खातेदारी अधिकार निरस्त करवाने का कोई अधिकार नहीं है। खसरा नंबर 253/3 रकबा 7 बीघा का विवाद मान्य अधिकारी से उच्चाधिकारी के समक्ष विचाराधीन होने के कारण मान्य अदालत को खसरा नंबर 253/3 के बाबत विचारण कर निर्णय देने का कोई अधिकार कानूनन नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 7 एवं 8 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ।

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने के पश्चात् निम्न विवाद्यक कायम की गई :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 16:14:30 IST
Reason: SelfAttested

1. आया विवादित आराजीयात मौजा जयरामपुरा तहसील ... पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित की गई है जिसका कुल ... उपरोक्त आराजीयात 18.05.1972 से पूर्व सिवायचक थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 4 के स्वर्गीय पिता मंगला एवं प्रतिवादी संख्या 5 का कब्जा काश्त था। आराजी खसरा नंबर 271/3 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 271/4 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 253/5 रकबा 7 बीघा में वादीगण 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का कानूनी

सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

अधिकारी है तथा विधिवत रूप से बंटवारा करवाते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादीगण

2. आया काना 1/3 हिस्से की प्रतिवादीगण संख्या 9, 10, व 11 द्वारा विक्रय कर मौके पर काबिज होने अपने 1/3 हिस्से की आराजीयात खसरा नंबर 251/1 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 251/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 271/3 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 271/4 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 271/2 रकबा 22 बीघा 7 बिस्वा का बंटवारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 के 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाते हुए अलग खाता कायम किया जावें।

जिम्मे प्रतिवादीगण 9, 10 11

3. आया वादी का विवादित आराजीयात खसरा नंबर 271/3, 271/4, एवं 253/3 में कोई हिस्सा नहीं है। अतः खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

4. आया खसरा नंबर 253/3 रकबा 7 बीघा का विवाद अन्य न्यायालय में विचारधीन होने से अदालत हाजा का उक्त खसरा नंबर से संबंधित विचारण करने का कानूनन अधिकार नहीं है।
5. आया वादी ने वाद फर्जी आधार पर पेश किया है अतः मय हर्जा खास अक्षरे दस हजार रूपये खारिज करवाते हुए वादी से हर्जा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्राप्त करने के अधिकार है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

6. अनुतोष/दादरसी

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 जडाव देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामेश्वर निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. PW2 रामलाल पुत्र श्री प्रभात, जाति जाट, निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिलिपि आवंटन सलाहकार समिति की कार्यवाही प्रदर्श–1, नामान्तकरण 207 – प्रदर्श 2, नामान्तकरण संख्या 261/1 प्रदर्श– 3, नामान्तकरण संख्या 262/2 प्रदर्श–4, जमाबंदी संवत 2035–2035 प्रदर्श– 5, जमाबंदी संवत 2032, 33, 34, 35 प्रदर्श – 6, जमाबंदी संवत 2060–2063 प्रदर्श – 7, जमाबंदी संवत 2060–2063 खाता संख्या 327 प्रदर्श – 8, जमाबंदी संवत 2064–2067 प्रदर्श– 9 जमाबंदी संवत प्रदर्श – 10 वादीगण ने प्रदर्शित करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

प्रतिवादी साक्ष्य वादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. DW1 अर्जुन पुत्र मंगला, जाति जाट, निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

...पत्नी श्री बृजमोहन, पुत्री स्व. प्रभात, जाति जाट नि

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

2. DW2 प्रभात पुत्र मंगला, जाति जाट, निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. DW 3 गोपाल पुत्र छीतरमल जाति जाट निवासी ग्राम बिलौची तहसील आमेर जयपुर
4. DW 4 कल्याण सहाय पुत्र प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जयपुर
5. DW 5 हरिनारायण पुत्र श्री रूपाराम जाट निवासी मोडी तहसील आमेर जयपुर

दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1990 की प्रति प्रदर्श प्रदर्श–ए– 1, विक्रय पत्र दिनांक 15.06.1990 की प्रति प्रदर्श–ए– 2, विक्रय पत्र दिनांक 06.03.1968 की प्रति प्रदर्श–ए–3, विक्रय पत्र दिनांक 01.04.1968 की प्रति प्रदर्श–ए– 4, विक्रय पत्र दिनांक 04.051988 की प्रति (प्रदर्श–ए– 5), जमाबंदी जयरामपुरा संवत 2027–2030 (प्रदर्श–ए– 6), जमाबंदी जयरामपुरा संवत 2031–2034 (प्रदर्श–ए–7), जमाबंदी जयरामपुरा संवत 2019–2022 (प्रदर्श–ए– 8), जमाबंदी जयरामपुरा संवत 2023–2026 (प्रदर्श–ए– 9), खसरा गिरदावारी जयरामपुरा संवत 2032–2035 (प्रदर्श–ए– 10), खसरा गिरदावरी संवत 2028–2031 (प्रदर्श–ए– 11), जमाबंदी जयरामपुरा संवत 2068–2071 (प्रदर्श–ए– 12), नक्शा ट्रेस ग्राम जयरामपुरा (प्रदर्श–ए– 13), खसरा गिरदावारी संवत 2068–2071 (प्रदर्श–ए– 14), नक्शा ट्रेस जयरामपुरा (प्रदर्श–ए– 15), जमाबंदी जयरामपुरा संवत 2068–2071 (प्रदर्श–ए– 16), मिसल संख्या 328/89 ऐएसओ आमेर उनवानी बोदूराम, कानाराम बनाम सरकार (प्रदर्श–ए– 17), पर्चा खतौनी जयरामपुरा संवत 2040(प्रदर्श–ए– 18), नक्शा प्रमाणित प्रति (प्रदर्श–ए– 19), मिसल संख्या 321/89 ऐएसओ आमेर उनवानी प्रभात बनाम सरकार (प्रदर्श–ए– 20), नकल अपील संख्या 61/2009 उनवारी प्रभात बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर को प्रदर्शित करवाया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया विवादित आराजीयात मौजा जयरामपुरा तहसील जो वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित की गई है जिसका कुल रकबा 57 बीघा 16 बिस्वा है उपरोक्त आराजीयात 18.05.1972 से पूर्व सिवायचक थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादी ... तागायत 4 के स्वर्गीय पिता मंगला एवं प्रतिवादी संख्या 5 का कब्जा काश्त ... आ... खसरा नंबर 271/3 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 27.../4 रकबा 2 बीघा ... बिस्वा, खसरा नंबर 253/5 रकबा 7 बीघा में वादीगण 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारी की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है तथा विधिवत रूप से बंटवारा करवाते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 1 को न्यायालय के समक्ष स्थापित करने का भार वादीगण पर है। इसके सन्दर्भ में वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह वर्णित किया गया है कि खसरा नम्बर 251/1

रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 261/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 271/2 रकबा 22 बीघा 7 बिस्वा एवं खतरा नम्बर 271/3, रकबा 13 विधा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 271/4 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा तथा खतरा नम्बर 253/3 रकबा 7 बीघा आदि भूमियों की बुवाई व काश्त चालू की थी। इनका कुल रकबा करीब 57 बीघा 16 बिस्वा है। उपरोक्त आराजीयात 18.05.1972 से पूर्व सिवायचक थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 4 के स्वर्गीय पिता मंगला एवं प्रतिवादी संख्या 5 का कब्जा काश्त था।

वादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपि आवंटन सलाहकार समिति की कार्यवाही (प्रदर्श–1), नामान्तकरण 207 – (प्रदर्श–2), नामान्तकरण संख्या 261/1 (प्रदर्श–3), नामान्तकरण संख्या 262/2 (प्रदर्श–4), जमाबंदी संवत 2035–2035 (प्रदर्श–5), गिरदावरी संवत 2032, 33, 34, 35 (प्रदर्श–6), जमाबंदी संवत 2060–2063 (प्रदर्श–7), जमाबंदी संवत 2060–2063 खाता संख्या 327 (प्रदर्श–8), जमाबंदी संवत 2064–2067 (प्रदर्श–9), मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–10) पेश किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य के रूप में जडाव देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामेश्वर (PW-1), रामलाल पुत्र श्री प्रभात (PW-2) के बयान मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। हस्तगत वाद में वादी ने जाहिर किया है कि विवादित आराजी 57 बीघा 16 बिस्वा दिनांक 18.05.1972 से पूर्व सिवायचक थी जो कि प्रदर्श 1 व 2 से साबित है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 4 के स्वर्गीय पिता मंगला एवं प्रतिवादी संख्या 5 का कब्जा काश्त होना जाहिर किया है परन्तु कब्जे संबंधित कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है। जबकि खसरा नम्बर 253/3 रकबा 7 बीघा पर वादी का कब्जा नहीं होने के कारण दिनांक 16.10.1981 को प्रभात व अर्जुन का कब्जाकाश्त के आधार पर आवण्टन समिति की सिफारिश पर नियमानुसार किया गया है जो कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है। इसमें वादीगण का यह कथन रहा कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पूर्वज काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे, साबित नहीं हो पाया है। जैसा कि RBJ 2002 PAGE 639 मे प्रतिपदित किया है कि *In this case plaintiff claimed khatedari rights on the vasis of entries in khasra Girdawari. The khasra Girdawari is not a record of rights, therefore, on the basis of khasra girdawari khatedari rights cannot be conferred. Further plaintiff could not prove his adverse possession.* प्रतिपदित किया है जिससे हम सहमत है। तथा जब खसरा नम्बर 271/2, 271/4 की स्वयं के नाम से वादी को आवंटित व अधिकार की भूमि वादी द्वारा दिनांक 05.06.1990 को नन्छु, महेन्द्रसिंह को विक्रय कर कब्जा संभलवा दिया था जो कि प्रदर्श ए–1 से साबित है तथा खसरा नम्बर 271/3, 271/4 की शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को नियमानुसार कब्जे काश्त के अनुसार आंवटित की जा चुकी है। विक्रय के पश्चात वादी देबू के कब्जे काश्त में कोई भूमि शेष नहीं रही है इस प्रकार वादपत्र में वर्णित आराजी पर कोई वाद कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 काना ने भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

अपने हिस्से की 37 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि मोहनलाल, मालीराम व छीतर को विक्रय कर दी है जोकि प्रदर्श ए–3, 4 व 5 से साबित है। विवादित आराजीयात पर वादीगण के निरन्तर कब्जे बाबत कोई खसरा गिरदावरियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी न्यायिक दृष्टांत इस पर चस्पा होते है (क) *RRT Jan 2001(1)page 15 Section 88 Mode of proving possession of agricultural land- It cannot be proved solely on oral evidence.*

(ख) *RBJ (6) 1999 PAGE 429 Section 88 Merely on the basis of oral evidence, decree cannot be passed- Merely on the basis of oral evidence when nothing is available on record to prove the possession of the plaintiff over the disputed land.*

(ग) *2007(1)RRT 85 Possession of land Plaintiff filled suirt section 88 claiming possession of land sicne last 50 years Records prior to settlement not produced- No evidence to show that plaintiff was in possession of disputed land- There is not basis on which old possession of plaintiff can be presumed- No documentary evidence was produced by petitioner- held, division bench of revenue board rightly dismissed suit of plaintiff.*

(घ) *RBJ (7) 2000 page 376 For declaration of khatedari rights and correction of entries in revnue record, plaintiff must produce some material to prove that he has been recorded as cultivator or tenant.*

(ङ) *2010(1) RRT 397 Suit for declaration land in question was recorded in the name of A & M - A sold his 1/2 share to plaintiff P & RL- Land of M auctioned for 5 years to satisfy the demand of industries deptt. & Plaintiff P purchased it & got the possession - Name of M Is recorded in the Jamabandhi of svt- 2057-60 for half share of the land- No written statement filled & not appeared before the court This is not a gound to decree the suit-Plaintiff failed to prove continuous possession -Courts below rightly dismissed the suit.* जबकि प्रतिवादी के पूर्वजों का नाम राजस्व अभिलेखों में निरन्तर रूप से चला आ रहा है एवं प्रतिवादर संख्या 1 लगायत 4 द्वारा निरन्तर रूप से स्वयं का विवादित आराजीयात पर कब्जा होना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसके हक में कानूनन विधिक उपधारणा भी है। वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात पर स्वयं का निरन्तर कब्जा होना किसी भी साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष स्थापित नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा वाद के तथ्यों की सम्पुष्टि बाबत उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को स्वयं का वाद सिद्ध करना आवश्यक होता है।उपरोक्त विवेचन से वादीगण तनकी 01 को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

2. आया काना 1/3 हिस्से की प्रतिवादीगण संख्या 9, 10, व 11 द्वारा विक्रय कर मौके पर काबिज होने अपने 1/3 हिस्से की आराजीयात खसरा नंबर 251/1 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 251/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 271/3 रकबा 1 बीघा, खसरा नंबर 271/4 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 271/2 रकबा 22 बीघा 7 बिस्वा का बंटवारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 के 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाते हुए अलग खाता कायम किया जावें।

जिम्मे प्रतिवादीगण 9, 10, 11

तनकी संख्या 2 को न्यायालय के समक्ष स्थापित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 9, 10, 11 पर है। इसके सन्दर्भ में प्रतिवादीगण संख्या 9,10,11 द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये अतः साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी अपनी तनकी साबित करने में असफल रहे है अतः तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण संख्या 9, 10, 11 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3. आया वादी का विवादित आराजीयात खसरा नंबर 271/3, 271/4, एवं 253/3 में कोई हिस्सा नहीं है। अतः खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

4. आया खसरा नंबर 253/3 रकबा 7 बीघा का विवाद अन्य न्यायालय में विचारधीन होने से अदालत हाजा का उक्त खसरा नंबर से संबंधित विचारण करने का कानूनन अधिकार नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

5. आया वादी ने वाद फर्जी आधार पर पेश किया है अतः मय हर्जा खास अक्षरे दस हजार रूपये खारिज करवाते हुए वादी से हर्जा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्राप्त करने के अधिकार है।

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 3 ता 5 एकसाथ निर्णित की जा रही है। इस न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने कारण तनकी संख्या 3, 4 व 5 का निर्णिय प्रतिवादी 1 ता 4 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

आदेश

तनकी संख्या 01 लगायत 05 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं तथा वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाये। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक ... आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर नं. जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 229/2013 वाद प्रस्तुति दिनांक – 11.02.1992

1. देबू पुत्र श्री सुण्डा जाति जाट निवासी जैरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर (मृतक दौराने वाद)

1/1 रामेश्वर पुत्र स्व. देबू, जाति जाट
1/1/1 जडाव देवी पत्नी स्व. रामेश्वर
1/1/2 सुशीला देवी पुत्री स्व. रामेश्वर
1/1/3 नन्दी देवी पुत्री स्व. रामेश्वर
1/1/4 बबली पुत्री स्व. श्री रामेश्वर
1/1/5 आची पुत्री स्व. श्री रामेश्वर
1/1/6 राजेश पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
1/1/7 सुरेश पुत्र स्व. श्री रामेश्वर
नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती जडाव देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर, जाति जाट निवासी जैरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
1/1/8 लाली पुत्री स्व. श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी हाल गांव अनोपपुरा तहसील आमेर जयपुर
1/2 श्रीमती पतासी देवी पत्नी स्व. देबू जाति जाट
1/3 श्रीमती तीजा पुत्री स्व. देबू एवं पत्नी गोमा जातियान जाट हाल निवासीयान चिथवाडी तहसील चौमू जिला जयपुर

बनाम

1. प्रभात (मृतक दौराने वाद)

1/1 केसरी देवी पत्नी स्व. प्रभात
1/2 कल्याण सहाय पुत्र स्व. प्रभात
1/3 राजू पुत्र स्व. श्री प्रभात
1/4 मोहन उर्फ मुन्ना पुत्र स्व. प्रभात
1/5 मुकेश पुत्र मुन्ना पुत्र स्व. प्रभात
जातियान जाट निवासगण गदलायां की ढाणी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जयपुर
1/6 सोनी देवी पत्नी श्री बृजमोहन, पुत्री स्व. प्रभात, जाति जाट निवासी ग्राम सरणा चौड, तहसील जयपुर
1/7 मीना देवी पत्नी श्री कैलाश पुत्री स्व. प्रभात जाति जाट निवासी ग्राम सरणा डूंगर, तहसील व जिला जयपुर

2. अर्जुन
3. गुलाब (मृतक दौराने वाद)

पुत्रान स्व. मंगला जातियान जाट निवासीयान जैरामपुरा तहसील आमेर जयपुर
3/1 श्रीमती घीसी देवी पत्नी स्व. श्री गुलाब
3/2 रामकुमार पुत्र स्व. श्री गुलाब
3/3 राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री गुलाब
3/4 सजना पुत्री स्व. श्री गुलाब
जातियान जाट निवासीयान ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू जयपुर

सहायक कलक्टर आमेर नं. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

3/5 कोयली पत्नी श्री सांवरमल पुत्री स्व. श्री गुलाब
3/6 नन्छी पत्नी श्री कैलाश पुत्री स्व. श्री गुलाब
3/7 श्रवणी पत्नी श्री मदनलाल पुत्री स्व. श्री गुलाब
जातियान जाट निवासी ग्राम निन्दौला, पोस्ट खेजराजी चौमू जयपुर

4. मुरली पुत्र स्व. श्री मंगल जाति जाट निवासीगयान जैरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर
5. काना पुत्र स्व. श्री मंगला जाति जाट निवासीयान जैरामपुरा तहसील आमेर

5/1 मोहरी पत्नी स्व. काना
5/2 हरि पुत्र स्व. काना
5/3 गोरधन पुत्र स्व. काना
5/4 लालचंद पुत्र स्व. काना
5/5 अमरचन्द पुत्र स्व. काना
निवासीयान ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू जयपुर
5/6 मनभर देवी पत्नी गोपाल पुत्री स्व. काना
5/7 बिरदी देवी पत्नी सीताराम पुत्री स्व. काना
5/8 तीजा देवी पत्नी नेमीचन्द पुत्री स्व. काना
5/9 गड्डी देवी पत्नी रामचन्द्र पुत्री स्व. काना निवासी ग्राम मुंडिया पोस्ट कालाडेरा तहसील चौमू जिला जयपुर

6. तहसीलदार आमेर जयपुर
7. नन्छू पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी राधास्वामी बाग, चौमू जयपुर
8. महेन्द्र सिंह पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी कचोलिया चौमू जिला जयपुर
9. मोहन लाल पुत्र ग्यारसी लाल जाति जाट
10. मालीराम पुत्र ग्यारसी लाल जाति जाट
11. छीतरमल पुत्र ग्यारसी लाल जाति जाट
निवासीयान ग्राम बाई का बास, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा मय दुरूस्ती रिकॉर्ड अन्तर्गत धारा – 88, 92(अ), 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तनकी संख्या 01 लगायत 05 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असमर्थ रहे हैं। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 12.05.2025 को जारी किया ।

दस्तखत——
ओहदा——

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दालेह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 229/2013
बउनवानी – देबू बनाम प्रभात वगै0
निर्णय दिनांक – 12.05.2025

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:14:30 IST
Reason: SelfAttested